रोजगार सम्बंधी समस्याएँ – संकेतों को पहचानें

यह पता करने के लिए कि क्या आपके कार्य, वेतन या अवकाश की शर्तें अनुचित हैं और आप उनके बारे में क्या कर सकते हैं, इस तथ्यपत्र को पढ़ें।

अवार्ड क्या होता है?

अवार्ड्स का सृजन 'फेयर वर्क कमीशन' द्वारा किया जाता है और उनमें आप जिस उद्योग में काम करते हैं उसके लिए न्यूनतम वेतन और शर्तों का निर्धारण किया जाता है। 'फेयर वर्क्स ऑमबड्समन' (FWO) आपको अवार्डों, पारिश्रमिक की दरों, ओवरटाइम, कार्य-विरामों (ब्रेक्स) एवं अन्य पात्रताओं के बारे में जानकारी दे सकता है।

131 394

www.fairwork.gov.au

मुझे $23.23 प्रति घंटा से भी कम दर से भुगतान किया जाता है

(1 जुलाई 2023 के अनुसार)

राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक $23.23 प्रति घंटा है। सभी कर्मचारियों को कम से कम इतनी रकम का भुगतान तो किया ही जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक के दायरे में आने वाले कैजुअल कर्मचारियों को भी कम से कम 25% कैजुअल लोडिंग मिलनी ही चाहिए। यदि आप 'जूनियर' हैं, जो कि समान्यतया 20 वर्ष या उससे कम आयु होती है तो इससे कम वेतन मिलना क़ानून-सम्मत है। अवार्ड्स में ज्यादातर न्यूनतम दरें, न्यूनतम पारिश्रमिक से ज्यादा होती हैं। न्यूनतम पारिश्रमिक को हर साल जुलाई से अपडेट किया जाता है।

मुझे 'नकद वेतन' दिया जाता है और मुझे पे-स्लिप नहीं मिलती है

यदि आपको नकद वेतन मिलता है तो यह कानून-सम्मत है – लेकिन जरूरी है कि आपका नियोक्ता आपको पे-स्लिप दे। यदि आपको पे-स्लिप के बिना नकद वेतन मिलता है तो इस बात का वास्तविक खतरा है कि आपका नियोक्ता कानून का पालन नहीं कर रहा है।

उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपका नियोक्ता आपके लिए सेवानिवृत्ति (सुपरएनुएशन) में योगदान नहीं दे रहा हो या आपके पारिश्रमिक पर आयकर का भुगतान न कर रहा हो।

मैं एक परीक्षण (ट्रायल) अवधि के लिए अवैतनिक कार्य कर रहा हूं

बहुत ही अल्प अवधि के लिए कुछ अवैतनिक परीक्षण कानून-सम्मत हो सकते हैं, जैसे कि जब आपका नियोक्ता काम पर रखने से पहले आपको अपनी कुशलताएं दिखाने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कॉफी बनाकर परोसने का काम करने जा रहे हैं तो यह दर्शाने में आधे घंटे का समय लग सकता है कि आप कॉफी मशीन की सहायता से विभिन्न प्रकार की कॉफी तैयार कर सकते हैं। कुछ अन्य कार्यों के लिए, अपनी कुशलता दिखाने में आपको और ज्यादा समय लग सकता है।

यदि आपका नियोक्ता काम की तैयारी के रूप में आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहता है तो आपको इसके लिए भुगतान मिलना चाहिए।

मैं अवैतनिक कार्य कर रहा हूं और मुझे पक्का पता नहीं कि मुझे वेतन मिलना चाहिए या नहीं

लोग विभिन्न कारणों से अवैतनिक कार्य करते हैं, जैसे कि स्वयं-सेवक का काम या काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए। जब तक कि आप वास्तविक कर्मचारी नहीं हैं, यह कानून-सम्मत हो सकता है।

स्वयं-सेवक वह व्यक्ति होता है जो वेतन की आशा के बिना कार्य करता है। उदाहरण के लिए, परोपकार के किसी कार्य में मदद देने के लिए। यदि आप एक स्वयं-सेवक हैं तो आप अपने कार्य के लिए वेतन पाने के हक़दार नहीं हैं।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी अधिकृत शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थान द्वारा व्यवस्थापित किए गए किसी व्यावसायिक स्थापन (प्लेसमेंट) में काम कर रहे एक विद्यार्थी हैं और अवैतनिक कार्य आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो आप उस कार्य के लिए वेतन प्राप्त करने के हक़दार नहीं हैं।

Legal Aid NEW SOUTH WALES

यह तब और जटिल हो जाता है जब आप अवैतनिक कार्य-अनुभव प्राप्त कर रहे हैं या अवैतनिक इंटर्नशिप कर रहे हैं जो आपके अध्ययन का हिस्सा नहीं है। इनमें से कुछ व्यवस्थाएं कानून-सम्मत हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अनुभव प्राप्त करने के लिए किसी नियोक्ता के पास अवैतनिक कार्य करने पर सहमत हैं, लेकिन आपके कार्य की निगरानी नहीं की जा रही है और आपको अन्य कर्मचारियों की तरह ही काम दिए जा रहे हैं जिन्हें आप स्वयं करते हैं, तो आपको कर्मचारी समझा जा सकता है और आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए आप वेतन पाने के हक़दार हो सकते हैं।

यदि आपको पक्का पता नहीं है कि आपका अवैतनिक कार्य कानून-सम्मत है या नहीं तो आपको कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

मुझे पक्का पता नहीं है कि मुझे एक कैजुअल कर्मचारी के रूप में काम दिया गया है या एक स्थायी कर्मचारी के रूप में

स्थायी कर्मचारी पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से काम कर सकता है। कैजुअल कर्मचारी कभी-कभी पूर्णकालिक रूप से काम करने पर भी कैजुअल माना जा सकता है।

पूर्णकालिक कर्मचारी सवैतनिक वार्षिक अवकाश, सवैतनिक व्यक्तिगत/देखभालकर्ता अवकाश, नौकरी की समाप्ति या कई बार छँटनी से पूर्व नोटिस दिए जाने का हक़दार होता है। कैजुअल कर्मचारी इन बातों का हक़दार नहीं होता लेकिन वह सामान्य तौर पर अवार्ड में न्यूनतम दरों से 25% अधिक, एंटरप्राइज़ एग्रीमेंट या राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का हक़दार होता है।

राष्ट्रीय रोजगार मानक यानी 'नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स' (NES) में 11 न्यूनतम रोजगार हक़दारियाँ होती हैं जिन्हें सभी कर्मचारियों को दिया जाना आवश्यक होता है। NES के हिस्से के रूप में, सभी कर्मचारी (कैजुअल तथा लघु व्यवसायों के कर्मचारियों सहित) प्रति वर्ष 10 दिन के, अवैतनिक घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा अवकाश के हक़दार होते हैं।

यदि आप अपने नियोक्ता के साथ कैजुअल के रूप में कार्य करने पर सहमत हुए हैं तो संभवतः आप एक कैजुअल कर्मचारी हैं। यदि आपको पक्का पता नहीं है तो अपनी स्थिति के बारे में आपको कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

जिन कैजुअल कर्मचारियों ने अपने नियोक्ता के लिए 12 महीनों तक कार्य किया है उन्हें उनके नियोक्ता द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक (स्थायी) नियोजन में परिवर्तन का विकल्प जरूर दिया जाना चाहिए। इसे 'कैजुअल परिवर्तन' (कैजुअल कन्वर्शन) के नाम से जाना जाता है। इसके लिए पात्रता सम्बंधी कुछ खास आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

ज्यादा जानकारी के लिए 'फेयर वर्क ऑस्ट्रेलिया' की वेबसाइट देखें: www.fairwork.gov.au

जब मैं सप्ताहांत या रात की पालियों में काम करता हूं तो मुझे अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता

ऐसे बहुत से अवार्ड्स हैं जिनमें सप्ताहांतों, सार्वजनिक अवकाशों, रात के समय या बड़े सवेरे के कार्य के भुगतान के लिए उच्चतर प्रति घंटा दर तय की गई है। यदि आप एक अवार्ड के दायरे में आते हैं तो आपको अपने उस अवार्ड में यह पता करना चाहिए कि क्या ऐसे कार्यों के लिए आप अतिरिक्त भुगतान के हक़दार हैं।

आप अपने अवार्ड के बारे में फेयर वर्क वेबसाइट पर पता लगा सकते हैं: www.fairwork.gov.au

यदि आप किसी अवार्ड के दायरे में नहीं आते तो, आपके अनुबंध में निहित होने पर, आप सप्ताहांतों, सार्वजनिक अवकाशों, रात के समय या अत्यंत सुबह के कार्य के भुगतान के लिए केवल उच्चतर भुगतान दर के पात्र हैं।

मुझे सेवानिवृत्ति (सुपरएनुएशन) निधि नहीं मिलती

यह जरूरी है कि आपका नियोक्ता आपके वेतन का अतिरिक्त 11% आपके सुपरएनुएशन फंड में जमा करवाए।

1 जुलाई 2022 से पहले, यदि आपने टैक्स चुकाने से पहले प्रति माह $450 या इससे कम अर्जित किया है तो आपके नियोक्ता को आपके सुपरएनुएशन में यह योगदान देने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 2022 से, आपके नियोक्ता को आपके सुपरएनुएशन में पैसे जमा करवाना आवश्यक है, चाहे आपकी आय कुछ भी हो।

यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और आप प्रति सप्ताह 30 घंटे या उससे कम काम करते हैं तो आपके नियोक्ता को आपका सुपरएनुएशन जमा करवाने की जरूरत नहीं है।

यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके पास स्वयं अपने कर्मचारी नहीं हैं तो आप सुपरएनुएशन के हक़दार हो सकते हैं। यदि आप इस स्थिति में हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस (ATO) से पता करना चाहिए या कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

मैं बिना किसी कार्य-विराम (ब्रेक) के लंबे घंटों तक काम करता हूं

यदि आप किसी अवार्ड या एंटरप्राइज़ ऐग्रीमेंट के दायरे में आते हैं तो आप कार्य-विराम पाने के हक़दार हैं। अपने कार्य-विराम के बारे में और अधिक विवरणों के लिए आपको अपने अवार्ड या एंटरप्राइज़ ऐग्रीमेंट में देखना चाहिए।

आप अपने रोजगार के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) में भी कार्य-विराम के हक़दार हो सकते हैं।

यदि आपका कोई अनुबंध नहीं है या उसमें कार्य-विराम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है तो भी आपको एक कार्य-विराम मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्यस्थलीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बंधी कानून के अनुरूप कार्यस्थल को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखना आवश्यक है। यदि आपका नियोक्ता आपको पर्याप्त कार्य-विराम नहीं देता है तो यह दुर्घटनाओं, थकान और मानसिक बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकता है।

मैं जो कार्य करता हूं उसके लिए मुझे भोजन एवं रहने की सुविधा दी जाती है

आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए आपके नियोक्ता को पूर्ण एवं धन के रूप में भुगतान करना चाहिए। लेकिन यदि आप लिखित रूप से इस बात पर सहमत हुए हों और कटौती की रकम आपकी पे-स्लिप पर अंकित है तो आपका नियोक्ता आपके वेतन से भोजन या किराए की कटौती कर सकता है। कटौती की गई रकम तर्कसंगत होनी चाहिए।

कुछ अवार्ड्स ऐसे हैं जो नियोक्ताओं को वेतन में से खाने-पीने के खर्चे की कटौती करने की स्पष्ट अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मोटर इन में रहते और काम करते हैं तो आतिथ्य अवार्ड आपके नियोक्ता को आपके वेतन में से रहने और खाने-पीने के लिए एक निर्धारित रकम की कटौती करने की अनुमति देता है। केवल रहने के लिए लंबे घंटों तक काम करना अक्सर शोषण होता है। ऐसे कर्मचारी जो बेघर हैं या जो बेघर होने के जोखिम में हैं, अक्सर स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं।

मुझे बर्ख़ास्त कर दिया गया है और यह अनुचित है

हर तरह की बर्ख़ास्तगी अनुचित नहीं होती है लेकिन आपकी नौकरी समाप्त करने के पीछे आपके नियोक्ता के पास कोई वैध कारण होना चाहिए और उस कारण का प्रत्युत्तर देने के लिए आपको मौका मिलना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी बर्ख़ास्तगी अनुचित थी तो आपको तुरन्त कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए। 'फेयर वर्क कमीशन' में अनुचित बर्ख़ास्तगी के लिए मामला शुरु करने के लिए आपके पास बर्ख़ास्त किए जाने की तिथि से केवल 21 दिनों का समय होता है। यदि आपको NSW सरकार या NSW की किसी स्थानीय काउंसिल द्वारा नियोजित किया गया था तो सामान्य तौर पर आपको NSW इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पास जाना होगा।

और अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं: www.fwc.gov.au

मुझे इसलिए बर्ख़ास्त किया गया क्योंकि मैंने अपने बॉस से एक शिकायत की थी

उचित कार्य अधिनियम (फेयर वर्क ऐक्ट) ऐसे कर्मचारियों की रक्षा करता है जो अपने अधिकारों के लिए 'आवाज़ उठाते' हैं या अपनी नौकरी को लेकर कोई शिकायत करते हैं। यदि आपको अपने कार्यस्थल सम्बंधी अधिकारों के बारे में पूछने या कोई शिकायत करने के कारण बर्ख़ास्त किया गया है तो आप 'फेयर वर्क कमीशन' में एक सामान्य सुरक्षा बर्ख़ास्तगी आवेदन दे सकते हैं। इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, आपकी बर्ख़ास्तगी की तिथि से 21 दिनों का समय होता है। आपको कानूनी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि सामान्य सुरक्षा बर्ख़ास्तगी आवेदन जटिल होता है।

और अधिक जानकारी के लिए www.fwc.gov.au पर जाएँ।

मुझे और अधिक सहायता कहां से मिल सकती है?

लॉ ऍक्सेस (LawAccess) NSW एक निःशुल्क सूचना सेवा है जिसका संचालन लीगल एड (Legal Aid) NSW द्वारा किया जाता है। NSW में किसी को अगर कोई क़ानूनी समस्या है तो वे क़ानूनी सहायता के लिए लॉ एक्सस (LawAccess) NSW से संपर्क कर सकते हैं। www.legalaid.nsw.gov.au पर हमसे चैट करें (Chat with us) अनुसंकेत (आइकन) पर क्लिक करें। या सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर), सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच, **1300 888 529** पर फोन करें।

यह सूचना-पुस्तिका कानून के सम्बंध में एक सामान्य निर्देशिका है। आप इस पर कानूनी सलाह के रूप में निर्भर न रहें, हम सिफारिश करते हैं कि अपनी स्थिति के बारे में आप किसी वकील से चर्चा करें। यह सूचना मुद्रण के समय तक सही है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉ ऍक्सेस (LawAccess) NSW से 1300 888 529 पर सम्पर्क करें।

This factsheet is also available in Arabic, Chinese (Sim), Hindi, Nepalese, Spanish, Tamil and Vietnamese.

© Legal Aid Commission of NSW 2023

MNLA60738 | SEP 2023 / सितंबर 2023